17/1/23

पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित
न्यायालय समय में रुक-रुक कर बार-बार आवाज
लगवायी गई। ना तो वादी वकील और ना ही स्वयं
वादी उपस्थित हुए। अतः पत्रावली सिविल प्रक्रिया
संहिता के आदेश 9 नियम 3 (अदम पैरवी
अदम हाजरी) के तहत खारिज की जाती
है। पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से
कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Wp

उप. [illegible]
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.07.25 11:51:27 IST
Reason: SelfAttested